न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 140 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. भगसिंह पुत्र पुनमसिंह 2. गिरधारी पुत्र पुनमा, जातियान पुरोहित, निवासी. गादेसरा सिटी, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर	1. उदयसिंह पुत्र धूकलसिंह 2. ठाकूरसिंह पुत्र धूकलसिंह 3. मथरोदेवी पत्नी धूकलसिंह विलोपित 4. गंगासिंह पुत्र पुजराजसिंह 5. लहरो पत्नी पुजराजसिंह जातियान पुरोहित निवासी डंडाली, तहसील सिणधरी 6. चैनसिंह पुत्र राणा 7. शंकरसिंह पुत्र राणा 8. दीपसिंह पुत्र राणा 9. नरपतसिंह पुत्र राणा 10. नीम्बसिंह पुत्र राणा 11. मथरोदेवी पत्नी राणा 12. बीजराजसिंह पुत्र प्रभूसिंह 13. उतमसिंह पुत्र प्रभूसिंह 14. नेमसिंह पुत्र प्रभूसिंह 15. मुकनसिंह पुत्र प्रभूसिंह 16. मदनसिंह पुत्र प्रभूसिंह 17. दीवादेवी पत्नी प्रभूसिंह 18. दरियादेवी पत्नी पारससिंह 19. हड़मतसिंह पुत्र डायासिंह 20. पुखराजसिंह पुत्र डायासिंह 21. चैतनसिंह पुत्र डायासिंह 22. गोविन्दसिंह पुत्र डायासिंह 23. संतोषकंवर पत्नी डायासिंह 24. विरमसिंह पुत्र गुलसिंह 25. तुलछसिंह पुत्र गुलसिंह 26. प्यारीदेवी पत्नी गुलसिंह 27. अभयसिंह पुत्र सावलसिंह 28. पुखराजी पुत्र सावलसिंह 29. पेमसिंह पुत्र सावलसिंह 30. रतनसिंह पुत्र सावलसिंह 31. उषा पुत्री सावलसिंह 32. मन्जू पुत्री सावलसिंह 33. मोहनी पुत्री सावलसिंह 34. साकूदेवी पुत्री सावलसिंह 35. देलीदेवी पत्नी सावलसिंह 36. अशोककुमार पुत्र लालसिंह 37. कालूसिंह पुत्र लालसिंह 38. गोतमसिंह पुत्र लालसिंह 39. पुखराजसिंह पुत्र लालसिंह 40. सन्दरदेवी पत्नी लालसिंह

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	41. इन्द्राकंवर पुत्री अर्जुनसिंह 42. गीताकंवर पुत्री अर्जुनसिंह 43. चेलाकंवर पुत्री अर्जुनसिंह 44. छगनकंवर पुत्री अर्जुनसिंह 45. तीजोकंवर पुत्री अर्जुनसिंह 46. माया पुत्री अर्जुनसिंह 47. सुआदेवी पत्नी अर्जुनसिंह 48. ओमाराम पुत्र गुणेशाराम 49. नारणाराम पुत्र गुणेशाराम 50. मानाराम पुत्र गुणेशाराम 51. ज्वारसिंह पुत्र भेरसिंह 52. जसवंतसिंह पुत्र भेरसिंह 53. दुर्गसिंह पुत्र भेरसिंह 54. नरपतसिंह पुत्र भेरसिंह 55. रमेशसिंह पुत्र भेरसिंह 56. मीरों पत्नी भेरसिंह 57. बाबूसिंह पुत्र देरामसिंह 58. भवसिंह पुत्र देरामसिंह 59. मांगसिंह पुत्र देरामसिंह 60. लूणसिंह पुत्र केरसिंह, जातियान पुरोहित निवासी गादेसरा सिटी, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर 61. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे, शाखा सिणधरी 62. शाखा प्रबन्धक आर एम जी बी शाखा सिणधरी 63. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी, जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2019 बउनवान ठाकूरसिंह बनाम गिरधारी वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.09.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री जोगराज पोटलिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा उतरदाता संख्या 01, 02 व 04, 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—01.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा गादेसरा सिटी में खसरा संख्या 02 रकबा 89.13 बीघा, खसरा संख्या 2/2 रकबा 01.16 बीघा, खसरा संख्या 2/4 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 91.14 बीघा का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि वादीगण व

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादी संख्या 01 से 48 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा तथा शेष प्रतिवादी संख्या 01 से 48 का है तथा इसी अनुरूप हिस्सा कस्सी राजस्व रेकर्ड में वादीगण का हिस्सा खुला हुआ है एवं इसी हिस्सों के माफिक वादीगण विवादित भूमि के मौके पर काबिज हैं। उक्त आराजी अपीलांटगण की पैतृक है। अपीलांट संख्या 01 भगसिंह का 1/7 हिस्सा, अपीलांट संख्या 02 गिरधारी का 1/7 हिस्सा है। और इसी तरह से पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिणधरी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिणधरी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर आर. आई द्वारा उतरदाता के प्रभाव में आकर वादग्रस्त भूमि पर जाये बिना कमरे में बैठकर वादीगण के कहे अनुसार कम्प्यूटर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर केवल मात्र वादीगण के ही हस्ताक्षर करवाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपीलांटस को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरीत तैयार किया गया, जिस पर अपीलांटस के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट भगसिंह की आवासीय ढाणी जो वर्षों से बनी हुई है वह ढाणी वाला भाग वादीगण के हिस्से में देकर भारी भूल की है, जिससे अपीलांट भगसिंह को बड़ी क्षति होगी। उत्तरदाता/वादीगण के द्वारा वाद पेश करते समय चार वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किया जाता है और जिसमें वादी संख्या 01 व 02 अपने पिताजी का नाम धोकलसिंह बताते हैं जबकि निर्णय में यही नाम धूकलसिंह हो जाता है। वाद पेश करते समय वादी संख्या 01 व 02 अपना हिस्सा 1/8 हिस्सा की मांग करते हैं और अपनी मां को वादीनी नहीं बनाते हैं जबकि निर्णय में मां का नाम व पक्षकारान का हिस्से में बदलाव आता है जिसका उल्लेख पत्रावली में कही पर भी नहीं किया गया है। जिससे उक्त निर्णय 'घोषणा का नहीं होने से' नये खातेदार का हिस्सा घोषित करना, पक्षकार बनाने के प्रार्थना–पत्र के बिना ही पक्षकार बनाना व बिना वाद पत्र के संशोधित किये पक्षकारान के हिस्से मांग पत्र को इतर बदलाव करना और बाद तक निर्णय पारित करना आदि अपने आप में विधि के प्रावधानों के बाहर जाकर डिक्री पारित की गयी। वादीगण द्वारा दावे में वक्त साक्ष्य दस्तावेजात प्रदर्शित नहीं कराये गये। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस द्वारा अपील में अंकित पते पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन भिजवाये गये। अपीलांटस स्वयं से सम्मन तामील हुए हैं। अपीलांटस द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील पेश नहीं की गई। अपीलांटस को हस्तगत वाद की जानकारी होने के पश्चात भी किसी प्रकार के काऊंटर क्लेम पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा अपील में मृतक पक्षकार को संयोजित किया गया तथा मृतक के नाम रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये जिसे डिलेवरी की रिपोर्ट से तामील करवाया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार सिणधरी स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांटस स्वयं मौके पर उपस्थित थे लेकिन हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। अपीलाधीन आराजी में 60 से भी अधिंक खातेदार हैं लेकिन अपील केवल दो अपीलांटस द्वारा की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अन्य सभी खातेदार उक्त बंटवारे से संतुष्ट हैं। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट स्वयं ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी था। अपीलांट का वाद ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये गये जो तामील होने के बावजूद भी अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट के नाम से सम्मन जारी किये गये जो स्वयं से तामील करावाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 27.09.2022 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2019 बउनवान ठाकूरसिंह बनाम गिरधारी वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.09.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

1/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर